307

संख्या– 84 /XXXVI(1)/139–एक / 2002

प्रेषक,

राम सिंह
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 10 फरवरी,2016

विषय– जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–80/XXXVI(1)/2015-139एक / 2002 दिनांक 27–03–2015 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल, जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित 09 अस्थायी संवर्गीय पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.03.2016 से दिनांक 28–02–2017 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त पदों का सृजन मूल रूप में शासनादेश सं0–38 एक(1) / न्याय विभाग / 03 दिनांक 22.07.2003 के द्वारा किया गया है।

2– उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तो सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–06–रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश उत्तर–प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–2574 / दस–98–24(8) 92 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर 1998 सपठित सं0–ए–1270 / 76–दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0–ए–2–877 / दस–92–24 (8) / 92 दिनांक 07.11.1995 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 84(1)XXXVI(1)/ -139 एक / 2002 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– जिला न्यायाधीश / जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–5 / कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

(कहकशा खान)
अपर सचिव

D:\Bhagwan folder\other file\Vividh lette2014.doc

308

संख्या–।।ना.व.बी./XXXVI(1)/2015-07 ना0व0–ए0/2015

प्रेषक,

कहकशा खान,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषय– जिला हरिद्वार में आपराधिक मामलों के संचालन हेतु नामिका आधिवक्ता के रूप में पूर्व में आबद्ध नामिका अधिवक्तागण की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भ में मुझे यह निदेश हुआ है कि जिला हरिद्वार में नामिका अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किये गये निम्न अधिवक्तागण की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैः–

1. श्री प्रवीण तोमर
2. श्री संजय कुमार चौहान
3. श्री आदेश चन्द्र चौहान
4. श्री विनय कुमार गुप्ता
5. श्री राजू सिंह विश्नोई

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0–05 ना0व0–बी0/XXXVI(1)/2015–1 ना0व0–बी0/2015 दिनांक 28.09.2015 के द्वारा आपके पत्र दिनांक 19.02.2014 के क्रम में ए0पी0ओ0 के 07 रिक्त पदों हेतु नया पैनल मांगा गया है, जबकि रिक्त 07 पदों के सापेक्ष 02 नामिका अधिवक्ता श्रीमती सुमति जखमोला तथा श्री मनोज पंवार आबद्ध है। अतः अवशेष 05 रिक्त पदों के सापेक्ष ही नया पैनल एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कहकशा खान)
अपर सचिव

संख्या–।।ना.व.बी.(1)/XXXVI(1)/2015-07 ना0व0–ए0/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला न्यायाधीश/कोषाधिकारी हरिद्वार।
2. सम्बन्धित अधिवक्तागण।
3. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

(कहकशा खान)
अपर सचिव

C:\Users\lenovo\Documents\Bhagwan folder\Namika wakeel\Namika letter.doc